

21/5/24

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण
जवाब हेतु नियत था। परन्तु न्यायालय
दाजा को राजस्थान कारतकारी अधिनियम
1955 को सुनने का क्षेत्राधिकार है। यूंही
अपील द्वारा 75- लैंग रीवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत
सही है। एवं न्यायालय दाजा को इसका
क्षेत्राधिकार नहीं होने से न्यायालय उपरोक्त
अधिकारी रिवा को पुनः लौटाया जा रहा है।
प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 2-7-24 को पेश हो।

